*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक

पत्रांक–2ब०/बजट–14–11/2019 177 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–10/1/2020

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर पंचायत, मोहनियां क्षेत्रान्तर्गत पथ एवं पुलिया निर्माण से संबंधित कुल ₹73.86031 लाख (तिहत्तर लाख छियासी हजार एकतीस रु०) मात्र की स्वीकृत योजनाओं के लिए आवंटित राशि ₹36.93015 लाख (छत्तीस लाख तिरानवे हजार पंद्रह रु०) मात्र की निकासी नहीं होने की स्थिति में चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल ₹36.93015 लाख (छत्तीस लाख तिरानवे हजार पंद्रह रु०) मात्र की पुनः सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2018–19 में नगर पंचायत, मोहनियां क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित पथ एवं पुलिया निर्माण से संबंधित योजनाओं को स्तम्भ– 04 में अंकित राज्यादेशों द्वारा स्तम्भ– 5 में अंकित राशि के अनुरूप कुल ₹73.86031 लाख (तिहत्तर लाख छियासी हजार एकतीस रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 6 के अनुरूप कुल ₹36.93015 लाख (छत्तीस लाख तिरानवे हजार पंद्रह रु०) मात्र आवंटित किया गया था।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोहनियां के पत्रांक– 336, दिनांक– 15.04.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त स्वीकृत योजनाओं के लिए आवंटित राशि की निकासी नहीं हो पाई थी। साथ ही इस संबंध में वरीय कोषागार पदाधिकारी, कैमूर के पत्रांक– 176, दिनांक– 11.04.2019 द्वारा निर्गत अनिकासी प्रमाण–पत्र संलग्न करते हुए अनिकासी की राशि को पुनः आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त वर्णित स्थिति एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोहनियां द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में निम्न तालिका के स्तम्भ– 3 में अंकित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 7 में अंकित अनिकासी की राशि को स्तम्भ– 8 के अनुरूप कुल ₹36.93015 लाख (छत्तीस लाख तिरानवे हजार पंद्रह रु०) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश सं०/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	अनिकासी की राशि	पुनः आवंटित अनिकासी की राशि	अवशेष राशि (5–8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नगर पंचायत, मोहनियां	वार्ड नं०– 10 में कॉलेज गेट से मुसहर टोली तक पी०सी०सी० रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	125/ 12.02.2019	47.41210	23.70605	23.70605	23.70605	23.70605

2		वार्ड नं०– 12 जी०टी० रोड से डॉ० जर्राह तक के घर तक पी०सी०सी० पथ एवं नाली निर्माण कार्य।		26.44821	13.22410	13.22410	13.22410	13.22411
			कुल योग	**73.86031**	**36.93015**	**36.93015**	**36.93015**	**36.93016**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि कुल ₹36.93015 लाख (छत्तीस लाख तिरानवे हजार पंद्रह रु०) मात्र।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹36.93015 लाख (छत्तीस लाख तिरानवे हजार पंद्रह रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019, पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) एवं पत्रांक– 1081, दिनांक– 11.12.2019 (द्वितीय अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर पंचायत, मोहनियां के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।*** **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. स्वीकृत कुल ₹36.93015 लाख (छत्तीस लाख तिरानवे हजार पंद्रह रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 193–नगर पंचायतों–अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष– 0104–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031930104,** विषय शीर्ष– 0104.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

8 उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:–

(i) ***योजनाओं का कार्यान्वयन नगर पंचायत, मोहनियां द्वारा किया जायेगा।***

(ii) जिला पदाधिकारी, कैमूर द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देशन समय–समय पर किया जाएगा।

(iii) योजना हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण–लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(iv) **योजनाओं का कार्यान्वयन ई० टेन्डरिंग के माध्यम से कराया जाएगा।**

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गयी है।

(vi) योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/बजट–14–11/2019 के पृष्ठ सं०–......20....../टि० पर दिनांक–09/01/2020...... को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–......21....../टि० पर दिनांक–09/01/2020...... को प्राप्त है ।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, कैमूर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोहनियां/कोषागार पदाधिकारी, कैमूर एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10.01.20

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बजट–14–11/2019 177 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–10/1/2020

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, कैमूर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोहनियां/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, कैमूर/प्रशाखा पदाधिकारी–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.01.20

सरकार के विशेष सचिव।